प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00608/2019-2020 दिनांक 31/01/2020

# सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

# (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण
संख्या:R/AZA/04526/2019-2020 पत्रावली संख्या:AZ-20741 दिनांक:2014-2015

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **माता माधुरी देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम कुकुड़ीपुर पोस्ट सठियांव तहसील सदर जिला आजमगढ़ उ०प्र०, आजमगढ , 276406** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-235/2014-2015 दिनांक-07/08/2014 को दिनांक-06/08/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1350 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

**Digitally Signed By**
**(RAJEEV KUMAR TIWARI)**
**CD0A2F01B3E54971B41B49DFA4FC676E1F5F7D77**
**Date: 31/01/2020 5:05:05 PM, Location: Azamgarh.**

जारी करने का दिनांक-31/01/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

75AC 206700

यह जनरल स्टाम्प पेपर माता माधुरी देवी शिक्षण ~~शिक्षा~~ एवं प्रशिक्षण
सेवा संस्थान ग्राम-कुकुडीपुर पो० सठियांव
जिला आजमगढ़ फाइल नं० A2-20741
संशोधित स्मृति पत्र साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उ० प्र०
सत्यमेव जयते
आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक 16/10/2015
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
16/10/15

मिलानकर्ता 16/10/2015
प्रतिलिपिकर्ता

# -: संशोधित स्मृति पत्र :-

| | |
|---|---|
| १:संस्था का नाम | : माता माधुरी देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान । |
| २:संस्था का पता | : ग्राम- कुकुड़ीपुर पो०- सठियांव, तह०- सदर, जिला-आजमगढ़,उ०प्र०। |
| ३:संस्था का कार्यक्षेत्र | : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश । |
| ४:संस्था के उद्देश्य १ | : कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व-प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों,महाविद्यालयों की स्थापना एव संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना । |
| २: | विकलॉगों को निःशुल्क कृत्रिमअंग,भोजन,आवास,शिक्षा,वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगों का क्रय व वितरण करना । |
| ३: | निःशुल्क पुस्तकालयों,वाचनालयों, क्रीडास्थलों,छात्रावासों,अनाथालयों, बृद्धाश्रमों,विधवाश्रमों, नारी निकेतनों बाल संरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रो संग्रहालयों, प्रयोग शालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना । |
| ४: | कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों,अनावासीय विद्यालयों, कान्वेण्ट विद्यालयों,बाल श्रमिक विद्यालयों,आश्रमपद्धति विद्यालयों,संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों,अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालयों,उर्दू,हिन्दी,अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों,विकलॉग विद्यालयों,तकनीकी विद्यालायों, औद्योगिक,प्रौद्योगिक प्राविधिक,विद्यालयों,सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रमों,किसान विद्यालयों,चरवाहा विद्यालया,सी०बी०एस०ई० विद्यालयों,आई०सी०एस०ई० विद्यालयों, सहशिक्षा केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन बिभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना । |
| ५: | गरीब,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति, बालश्रमिक,दलित,विकलॉगो मेधावी, निराश्रित, असहाय तथा मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों,वीरगति प्राप्त,विकलॉग सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना । |
| ६: | कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्ट वेयर एवं डिजाइनिंग, इन्टरनेट, साइबर कैफे,सिलाई, कढाई,कटाई,कताई,बुनाई, तकनीकी ,शिल्पकला, हस्तशिल्पकला,काष्ठकला कम्प्यूटर, टंकण,आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स,पेटिंग,जरीकढाई,चिकनकढाई,कालीन बुनाई,दरी बुनाई,संगीत,नाट्य,बाद्य,कला,नृत्य, आई०टी०आई०, पालिटेक्निक बाम्बे आर्ट आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना । |

Ajay. Devendra Rai Priyavrat Rai

हरिहर

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक 16/10/2015
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।
16/10/15

मिलानकर्ता
प्रतिलिपिकर्ता

७: समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी०एड०,बी०पी०एड०,सी०पी०एड०,बी०टी० सी०,यू०टी०सी० आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

८: पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा बृक्षारोपण करना । प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों,पशु अस्पतालों ,प्रदूषण जॉच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना । ,

९: कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकीयंत्रों,खादों,बीजों, कीटनाशक दवाओं उसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना

१०: बालक/बालिकाओ,कलाकारो,के शारीरिक ,बौद्धिक ,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमीनारों ,गोष्ठियों,प्रदर्शनियो सांस्कृति कार्यक्रमों आदि का आयोजन,संचालन करना सफल बालक/बालिकाओ, कलाकारो को पुरस्कृत करना, ।

११: भारत सरकार,प्रदेश सरकार,जिला ,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं शिक्षा की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना । ,

१२: कृषि उत्पाद में सहायक पशुपालन,मधुमक्खी पालन,बकरी पालन, भेड़पालन मत्स्य पालन आदि व्यवसाय करना तथा इसके निमित्त लोगों को सही व उचित जानकारी देना ।

१३: मात्र शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों,टीकाकरण शिविरों,पल्सपोलियों शिविरों,दवाखानों,चैरिटेबुल अस्पतालों,एड्स,अपंगता,कुष्ठ,अंधता,निवारण केन्द्रोंआदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

१४: कुटीर उद्योग को बढावा देने हेतु मोमबत्ती,अगरबत्ती,दियासलाई,वाशिंगपाउडर, ब्लीचिंगपाउडर,साबुन,अचार,मुरब्बा,चिप्स,चाकलेट,नमकीन,विस्कुट,नील,चाय, कागज की कप,प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षणकेन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१५: युवक/युवतियों को मोटर ट्रेनिंग देना तथा उन्हें यातायात के नियमों को बताना एव मार्ग चिन्हों को उन्हें समझाने का प्रयास करना , तथा युवक/युवतियो के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

सुधा राय
Ajay
Devendra Rai
हरिहर
Siyaram Rai

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।
16/10/15

मिलानकर्ता 16/10/15
प्रतिलिपिकर्ता

१६: स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा होम्योपैथिक,आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा,योगा,इक्यूप्रेशर आदि प्रशिक्षणों के पाठ्यक्रमों का डिप्लोमा व कालेजों/प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

१७: पंचकर्म, सतकर्म आदि सहायक पाठ्यक्रमों का संचालन करना तथा इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना

१८: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों, नर्सिग होमों, ए०एन०एम०, जी०एन०एम० आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

१६: स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना ।

२०: स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जॉच व परीक्षण करना एवं समय-समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना ।

२१: गाँवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों,जनजागरूकता कार्यक्रमों,प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,पेयजल ,सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।

२२: पैरामेडिकल कालेज के अन्तर्गत नर्सिगहोमों,फार्मेसी,पैथालाजी,रेडियोलाजी,फिजियोथैरैपी, ऑप्टोमिर्टी,कार्डियालाजी,सी०टी०/एम०आर०आई०,आडियों मीटरी,इक्यूपमेन्ट मेन्टेन्स, हास्पिटल,एडमिनिर्स्टेशन,ओ०टी०टेक० आदि प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

२३: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहें मलेरिया, काला आजार ,डेगू बुखार जापानी इनसेफलाइटिस,फाइलेरिया,क्षय रोग,रजित रोग,राष्ट्रीय कार्यक्रम,राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी०बी०,चेचक,गिनी कृमि,याज आदि के उन्मूलन एवं नियत्रंण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।

२४: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रोंमें लागों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब,असहाय, लोगों को भोजन,चिकित्सा,आवास,वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना ।

Ajay

Devendra Rai

हरिहर

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़
16/10/15

मिलानकर्ता 16/10/15
प्रतिलिपिकर्ता

५: संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों /पदाधिकारियों के नाम, पिता/पति का नाम,पता तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया :-

| क्र०सं० नाम | पिता/पति का नाम | पता | पद | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|
| १:श्री शिव कुमार राय | स्व० बलभद्र राय | ग्राम हांसापुर पो० सूरजपुर मऊ | अध्यक्ष | कृषि |
| २:श्री देवेन्द्र राय | श्री जटाशंकर राय | ग्राम,पो० दुबौली, गोरखपुर | उपाध्यक्ष | ,, |
| ३:श्रीमती सुधा राय | श्री सुनील कुमार राय | ग्राम कुकुड़ीपुर पो० सठियांव आजमगढ़ | प्रबन्धक/ सचिव | समाजसेवा |
| ४:श्री अजय राय | श्री बैकुण्ठ राय | ग्राम,पो० महड़ौर, गाजीपुर | उपप्रबन्धक/ उपसचिव | ,, |
| ५:श्री विजय नारायण राय | स्व० ब्रम्हदेव राय | ग्राम कुकुड़ीपुर पो० सठियांव आजमगढ़ | कोषाध्यक्ष | ,, |
| ६:श्री सियावर राय | स्व० सहबली राय | ग्राम,पो० सियरहां,आजमगढ़ | सदस्य | कृषि |
| ७:श्री हरिहर राम | श्री कन्हई राम | ग्राम कुकुड़ीपुर पो० सठियांव आजमगढ़ | ,, | ,, |

६:हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो०रजि०ऐक्ट १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं ।

सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के स्पष्ट हस्ताक्षर

दिनॉक

सुधा राय

Ajay.

हरिहर

Devendra Rai

सियावर राय

Vijay Narain Rai

शिव कुमार राय

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक 6/10/2015

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आजमगढ़ ।

16/10/15

मिलानकर्ता 16/10/2015

प्रतिलिपिकर्ता

# -: नियमावली :-

१:संस्था का नाम : माता माधुरी देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान ।

२:संस्था का पता : ग्राम- कुकुड़ीपुर पो०- सठियाँव तह०- सदर, जिला- आजमगढ़,उ०प्र०।

३:संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

४:संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार

५:संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त में कम से कम ५०००/- या उससे अधिक मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से सदस्यता शुल्क के स्वरूप देगें तथा संस्थाहित में कार्य करेगें संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें ।

विशिष्ट सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितैषीभाव रखने वाले होगें तथा संस्था को ५००/-रूपया हर पाँचवे साल सदस्यता शुल्क देते रहेगें संस्था के विशिष्ट सदस्य बने रहेगें ।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्थाहित में सदैव कार्यरत रहेगें तथा संस्था को ५१/-रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देते रहेगें संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेगें

सदस्यता ग्रहण करने की अर्हता-: वह भारतीय नागरिक हो तथा उसकी उम्र १८ साल या उससे अधिक हो ।

६:सदस्यता की समाप्ति१: मृत्यु होने पर ।

२: पागल अथवा दिवालिया घोषित किये जाने पर ।

३: संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

४: त्याग पत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

५: लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित सूचना के अनुपस्थित होने पर ।

६: किसी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिकआपराधिक केस में दोष सिद्ध किये जाने पर।

७: सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर।

७:संस्था के अंग १: साधारण सभा

२: प्रबन्धकारिणी समिति

हरिहर

शिवकुमार राय

Devendra Rai

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़ ।
27/12/14

मिलानकर्ता
प्रतिलिपिकर्ता